रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D)—72

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 20] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 16, 1981/पौष 26, 1902
No. 20] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 16, 1981/PAUSA 26, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

## वित्त मंत्रालय

## (राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 जनवरी, 1981

### केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

**सा. का. नि. 25 (अ)** :—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 8 के उपनियम (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 100/80-केन्द्रीय उत्पादशुल्क, तारीख 19 जून, 1980 को निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:—

"परन्तु इस अधिसूचना की कोई बात ऐसे सिलण्डरों को लागू नहीं होगी जो किसी ऐसे कारखाने में विनिर्मित किए गए हैं जिसकी ऐसे सिलण्डरों का विनिर्माण करने के लिए वार्षिक अनुज्ञप्त क्षमता, तकनीकी विकास महानिदेशालय के विकास अधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित ऐसे साठ हजार सिलण्डरों से अधिक है।"

[सं. 4/81/फा. सं. 338/21/80-टी आर यू]
टी. आर. रुस्तगी, अवर सचिव

## MINISTRY OF FINANCE

**(Department of Revenue)**

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th January, 1981

CENTRAL EXCISES

**G.S.R. 25(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-rule (1 of rule 8 of the Central Excise Rules, 1944, the Central Government hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 100/80-Central Excises, dated the 19th June, 1980 namely :—

In the said notification, to the first paragraph, the following proviso shall be added namely :—

"Provided that nothing contained in this notification shall apply to such cylinders manufactured in any factory whose annual licensed capacity for manufacturing such cylinders as certified by the Development Officer of Directorate General of Technical Development exceeds sixty thousand numbers of such cylinders."

[No. 4/81/F. No. 338/21/80-TRU]
T. R. RUSTAGI, Under Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1981